

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

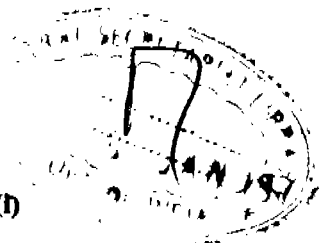
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 440] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1976/वोष 10, 1898

No. 440] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1976/PAUSA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December 1976

G.S.R. 968(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

C.O. 106

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR)
FOURTH AMENDMENT ORDER, 1976

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Fourth Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, in sub-paragraph (24) (relating to the NINTH SCHEDULE), in clause (a),—

- (1) entries 64D and 64E shall be omitted and entries 64F and 64G shall be re-numbered as entries 64D and 64E respectively;
- (2) after entry 64E as so re-numbered, the following entries shall be inserted, namely:—
 “64F. The Jammu and Kashmir Restitution of Mortgaged Properties Act, 1976 (Act XIV of 1976).
 64G. The Jammu and Kashmir Debtors' Relief Act, 1976 (Act XV of 1976).”.

FAKHRUDDIN ALI AHMED,
President

[No. F. 19(4)/76-LI]

K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, स्थाप और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1976

सां० का० नि० 968 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है —

सं० आ० 106

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) चतुर्थ संशोधन, आदेश, 1976

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं,—

1. (1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) चतुर्थ संशोधन आदेश, 1976 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 में, पैरा 2 में (नवम अनुसूची से सम्बन्धित) उप-पैरा (24) में, खण्ड (क) में,—

(1) प्रविष्टि 64घ और 64ङ का लोप किया जाएगा, और प्रविष्टि 64च और 64छ को क्रमशः प्रविष्टि 64घ और 64ङ के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(2) इस प्रकार पुनःसंघांकित प्रविष्टि 64छ के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्

“64च. जम्मू-कश्मीर बंधक सम्पत्ति की वापसी अधिनियम, 1976 (1976 का 14)

64छ. जम्मू-कश्मीर ऋणी सहायता अधिनियम, 1976 (1976 का 15)”.

फ़ख़रुद्दीन अली अहमद,

राष्ट्रपति

[सं. फा० 19(4)/76 एल-1]

के० के० सुन्दरम्, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

